

२०/०५/२३

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी
अनुपस्थित। वकील वादी को
बार-बार आवाजें दिलवाये
जाने के बाद भी वकील वादी
उपस्थित नहीं हुए तथा मा
ही उनके कोई प्रतिनिधि
उपस्थित हुए। अतः वादी मा
वाद सी. पी. सी. के ०९ R ३
(अदम हाजरी अदम जैरवी) में
स्वारित किया जाता है। पत्रावली
केसल कुमार होकर दारिबल
दफ्तर हो। आदेश सुनने
न्यायालय में सुनाया गया।

ममम